

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

टेली / Tel: 022-28294774

ई-मेल /E-mail : ddcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in



कार्यालय आदेश संख्या 309/2023

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2023 के माध्यम से, यह सिफारिश की गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल लिपिकीय (क्लेरिकल) सहायता प्रदान/डेटा प्रविष्टि करने का कार्य दिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, उन्हें किसी भी आधिकारिक फ़ाइल को संसाधित करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए। तदनुसार, तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को ई-ऑफिस (e-office) फ़ाइल का एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए।

- 2. किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का जनता/व्यापार से कोई सीधा संपर्क नहीं साधा जाएगा।
- 3. आईटी अनुभाग ई-ऑफिस (e-office) और व्यक्तिगत आईडी @gov.in में आउटसोर्स कर्मचारियों को दिए गए एक्सेस को बंद कर देगा और अनुभाग-वार ईमेल आईडी बनाएगा।
- 4. समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों एवं उनका पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निदेश दिया जाता है। उल्लंघन होने पर, ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और लागू नियमों और/या संविदात्मक समझौते के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- 5. यह विकास आयुक्त, सीप्ज़ सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(ब्रिजिट जो)

वि आ का स /

स वि आ (i/c)

सीप्ज़-सेज़

F.No.:SEEPZ-SEZ/Admin/HOS/620/2021-22/1074

दिनांक: 14.08.2023

प्रति:

- 1. सभी आउटसोर्स कर्मचारी, सीप्ज़-सेज़
- 2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, सीप्ज़-सेज़
- 3. विकास आयुक्त कार्यालय/संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय /विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज-सेज़
- 4. कार्यालय आदेश फ़ाइल



,भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, अंधेरी (पूर्व), मुंबई — 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096. टेली/Tel: 022-28294774



ई-मेल/E-mail: dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट/Web-site: www.seepz.gov.in

OFFICE ORDER No. 369 / 2023

Vide Ministry of Commerce & Industry letter dated 31st July, 2023, it has been recommended that the outsourced staff should only be engaged to provide clerical assistance/data entry and in no circumstances, they should be allowed to process any official file. Accordingly, with immediate effect, it has been decided that no outsourced staff will have access to the e-office file.

- No outsourced staff will have any direct communication with public/trade.
- The IT Section will discontinue the access given to the outsourced staff in e-office and personal ID @gov.in and create section-wise email ID.
- All the outsourced staff and the officers supervising them are directed to adhere strictly to the above directions. In case of any violation, serious view will be taken against such outsourced employee and action will be initiated under applicable rules and/or contractual agreement.
 - This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.

Signed by Bridget Joe Date: 14-08-2023 17:51:53

Reason: Approved

(Bridget Joe) Executive Asstt to DC/ ADC Admn i/c, SEEPZ SEZ.

F. No.:SEEPZ-SEZ/ADMIN/HOS/620/2021-22/11074

14.08.2023

To:

- 1. All outsourced staff, SEEPZ-SEZ
- All officers/staff, SEEPZ-SEZ
- DCO/JDCO/SO, SEEPZ-SEZ
- 4. Office Order File